संख्याः 3172 /XVII(4)/2021-5(33)/2020

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

विषयः–मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में अधिकांश गर्भवती एवं धात्री महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। जिसका मुख्य कारण है कि महिलाओं द्वारा ग्रहण किये जाने वाले भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। जिससे एक अस्वस्थ गर्भवती स्त्री द्वारा कुपोषित बच्चे को जन्म देने की संभावनायें बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार दूध पिलाने वाली माताएं (धात्री माता) कमजोर होने के कारण बच्चे को ठीक से स्तनपान नहीं करवा पाती है। उक्त कारणों से बच्चें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं व महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में अधिक सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना संचालित की जा रही है।

**योजना का स्वरूपः– मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना** के द्वारा राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में एनीमिया एवं मृत्यु व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं पोषण स्तर में सुधार लाया जायेगा। महिलाओं में एनीमिया की कमी को कम करने के लिये लौह तत्वों, प्रोटीन, कैलोरी से भरपूर अतिरिक्त भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दो दिन (बुधवार एवं शनिवार) अण्डा, दो दिन (सोमवार एवं मंगलवार) केला व दो दिन (वृहस्पतिवार एवं शुक्रवार) को दूध उपलब्ध करवाया जायेगा। इस प्रकार महिलाओं को उनके भोजन में अतिरिक्त आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम व कैलोरी शामिल कर पोषण स्तर में सुधार लाया जायेगा। मां का पोषण स्तर सुधरने पर बच्चा भी कुपोषण से मुक्त होगा। अतः राज्य को कुपोषण मुक्त करने की दिशा में यह योजना प्रभावी होगी। इस संबंध में निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन ''मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना'' के संचालन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

**1– योजना का उद्देश्य–**

- गर्भवती/धात्री माताओं में पोषण स्तर में सुधार लाना।
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।
- एनीमिया की कमी को दूर करना।

- कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन तथा कैलोरी अतिरिक्त रूप से प्रदान करना।
- गर्भवती/धात्री माताओं के पोषण स्तर को सुधारते हुये बच्चों को कुपोषण मुक्त करना।

**2–योजना के लाभार्थी :**

- आंगनबाड़ी केन्द्रो पर पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री महिलाये।

**3–योजनान्तर्गत दिये जाने वाले लाभ एवं मानक**

1– प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रो पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दिन अण्डा, 02 दिन केला एवं 02 दिन दूध अतिरिक्त पोषाहार के रुप में निम्नानुसार उपलब्ध कराये जायेगे:–

| क0सं0 | प्रति लाभार्थी को दिये जाने वाला पौष्टिक आहार | निर्धारित दिवस | मात्रा प्रतिदन की दर से | प्रति लाभार्थी निर्धारित प्रतिदिन हेतु वित्तीय मानक | प्रति लाभार्थी एक सप्ताह हेतु कुल वित्तीय व्यय (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अण्डा | बुधवार एवं शनिवार | 01 | रू0 7.00/– | 14.00 |
| 2. | केला | सोमवार एवं मंगलवार | 01 | रू0 5.00/– | 10.00 |
| 3. | दूध | बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार | 100 ग्राम | रू0 3.70/– | 7.40 |
| | | | | **कुल योग** | **31.40** |

2– जो गर्भवती महिलाएं/धात्री माताएं अण्डा नहीं खाती है, उनको अण्डे के स्थान पर स्थानीय मौसमी फल/छुहारा/डेट्स, जिसकी दर रू0 7/– से अधिक न हो, दिया जायेगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में क्षेत्र में केला उपलब्ध नहीं है, तो केले के स्थान पर स्थानीय मौसमी फल, जिसकी दर रू0 5/– से अधिक न हो, गर्भवती एवं धात्री लाभार्थियों को दिया जा सकेगा।

3– आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पंजीकरण की तिथि से लेकर प्रसव के बाद 6 माह की अवधि तक उक्त लाभ दिये जायेंगे। यह सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्र पर ही खिलाई जायेगी। प्रसव के समय आंगनबाड़ी केन्द्र में आने की असमर्थता की स्थिति में यह सामग्री घर के लिये उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि किसी गर्भवती महिला का घर आंगनबाड़ी केन्द्र से अत्याधिक दूर हो तथा वह आंगनबाड़ी केन्द्र आने में असमर्थ है, तो एक–एक सप्ताह के लिये सामग्री घर के लिये दी जा सकती है। कोविड काल में यह सामग्री एक–एक सप्ताह के लिये घर पर ही दी जायेगी।

4– स्वास्थ्य विभाग से समन्वयन करते हुये, अनिवार्य रूप से प्रति माह आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का हिमोग्लोबिन एवं वजन जांचा जायेगा। महिलाओं में जांच के दौरान हिमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम से लगातार कम रहने पर स्वास्थ्य

विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा, ताकि विस्तृत स्वास्थ्य जांच कर इलाज/उपचार किया जा सके। उक्त से सम्बन्धित आख्या प्रतिमाह निदेशालय को प्रेषित की जानी अनिवार्य होगी।

4. सामग्री का क्रय

1– आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आवश्यकता के अनुरूप यह सामग्री (अण्डा व केला) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार क्रय की जायेगी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में संचालित 105 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 597 सुपरवाईजर सैक्टर मुख्यालय के माध्यम से अण्डा, केला, मौसमी फल, खजूर, छुआरा आदि सामग्री की आपूर्ति की जायेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से केन्द्रों के लाभार्थियों को यथासमय आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण किया जायेगा।

2–मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अनुरूप निर्धारित मानक एवं मात्रा के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को दूध प्रदान किया जायेगा।

3– खाद्य सामग्री की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए वितरण करते समय व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा। यथा–साबुन से हाथ धोकर, बाल बंधे हो, मास्क अनिवार्य रूप से पहना हो और नाखून कटे हुये हो।

5. रिपोर्टिंग –

प्रत्येक माह की 15 तारीख तक योजना के अनुरूप लाभार्थियों की सूचना/रिपोर्ट संबंधित सुपरवाइजर द्वारा परियोजना कार्यालयों को तथा परियोजना कार्यालयों द्वारा संकलित कर जिला कार्यक्रम कार्यालयों को भेजी जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह मासिक प्रगति आख्या के साथ त्रुटि रहित भौतिक प्रगति की सूचना एम0पी0आर0 के अनुसार निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे।

सुपरवाईजर/बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर सामग्री का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अथवा शासनादेश में योजना के क्रियान्वयन/संचालन की व्यवस्था के आधार पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार सामग्री सुपरवाईजर सेक्टर स्तर पर पहुँचायी जायेगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल सेक्टर पर प्रस्तुत करवाये जायेंगे, तदोपरान्त सुपरवाईजर द्वारा बिल प्रमाणित करते हुये बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सैक्टरवार प्राप्त बिलों के भुगतान की संस्तुति की जायेगी एवं बिल संकलित कर सामग्री प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भुगतान की संस्तुति सहित सामग्री प्रमाण पत्र निदेशालय को तीन दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

सुपरवाईजर द्वारा प्राप्त सामग्री के अंकन हेतु स्टॉक पंजिका बनायी जायेगी। जिसके आधार पर बाल विकास परियोजना कार्यालय स्तर पर भी स्टॉक पंजिका में अंकन किया जायेगा।

**6. वित्तीय प्रबन्धन तथा अभिलेखीकरण–**

योजना का निर्धारित प्रक्रियानुसार ऑडिट कराया जायेगा। वित्तीय अभिलेखों का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों का होगा।

**7. अनुश्रवण एवं मूल्याकन**

उक्त योजना के अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में जिसमें सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य के रुप में नामित होगे की जनपद स्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त कमेटी द्वारा समय–समय पर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती एवं धात्री लाभार्थियों को वितरित अण्डा, केला एवं दूध की पौष्टिकता, निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा। जिसके लिये वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

8– उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय भार अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 103–महिला कल्याण 35–मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना (रा0यो0) में मानक मद–42–अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

9– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी लाभार्थीपरक योजनाओं का MIS Online Dashboard के माध्यम से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

10– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–232(म0)XXVI(3)2021 दिनांक 09.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या– (1)/XVII/2021-5(33)/2020 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री को मा0 विभागीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।